भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3316

जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोतों संबंधी अध्ययन

3316. डॉ. शशि थरूर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के स्रोतों के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की योजना नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2.0 (एनएएफआईएस 2.0) करने की है;

(घ) यदि हां, तो एनएएफआईएस 2.0 की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा ग्रामीण भारत में गैर-संस्थागत ऋणों के बजाय संस्थागत ऋणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने ग्रामीण परिवारों की आजीविका और वित्तीय समावेशन पहलुओं पर प्राथमिक डेटा एकत्र करने के उद्देश्य से नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस 2021-22) आयोजित किया है। यह आय, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन, विप्रेषण और वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का व्यापक विश्लेषण करता है। एनएएफआईएस 2021-22 की रिपोर्ट 09 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी।

सरकार ने संस्थागत ऋणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें, *अन्य बातों के साथ-साथ*, निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i)किसानों को झंझटरहित तरीके से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना का शुभारंभ किया गया था। केसीसी उत्पाद ने किसानों को आवश्यक वित्तीय चलनिधि की अनुमति दी और उन्हें आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया। पशुपालक और मत्स्यपालक किसानों को अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद के लिए वर्ष 2019 में केसीसी की सुविधा का विस्तार किया गया है। 30 सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार, बैंकों ने संबद्ध गतिविधियों सहित 9.99 लाख करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ 7.72 करोड़ केसीसी जारी किए हैं।

(ii)सर्वसुलभ वित्तीय समावेशन प्राप्त करने के लिए घर-घर केसीसी अभियान कैम्पेन का शुभारंभ किया गया है जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक किसान को बाधारहित ऋण सुविधा प्राप्त हो जो उनके कृषि कार्यों में सहायक हो। यह अभियान गैर-केसीसी खाताधारक पीएम किसान लाभार्थियों तक पहुंचने और पात्र पीएम किसान लाभार्थी किसानों के बीच केसीसी खातों की परिपूर्णता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(iii) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी और एसएफबी सहित), राज्य सहकारी बैंक(एसटीसीबी) और डीसीसीबी को 06 दिसंबर 2024 को जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.एफएसडी.बीसी.सं. 10/05.05.010/2024-25 के माध्यम से (प्रतिलिपि संलग्न) संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है।

(iv) भारत सरकार ने छोटी जोत आधारित खेती को अर्थक्षम कृषि-व्यवसाय उद्यम में बदलने और किसानों की निवल आय बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना "10,000 किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन" शुरू की।

(v) स्व-सहायता समूह-बैंक संबद्ध कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) क्रमश: ग्रामीण परिवारों को स्थायी ऋण प्रदान करने और काश्तकार/भूमिहीन किसानों को संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किए गए हैं।

(vi) सरकार ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) दिशानिर्देश तैयार किए हैं जिनके अनुसार बैंकों को अपने कुल ऋणों का 18% कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र को प्रदान करना है जिसका उपलक्ष्य छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए 10% नियत करना है।

(vii) सरकार बुनियादी स्तर के कृषि ऋण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती रही है। इसके अलावा, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन कार्यकलापों के लिए बढ़े हुए ऋण का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए सरकार इन गतिविधियों के लिए एक उप-लक्ष्य भी उपलब्ध कराती है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 27.50 लाख करोड़ रुपये के समग्र कृषि ऋण लक्ष्य के भीतर इन गतिविधियों के लिए 4.20 लाख करोड़ रुपये का उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(viii) भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 26.08.2008 के परिपत्र के अनुसार, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों और ऐसे ही लोगों को 50,000/- रुपये तक के छोटे ऋणों के लिए बेबाकी प्रमाणपत्र की आवश्यकता से छूट दें और इसके स्थान पर उधारकर्ता से स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करें। बैंकों को भूमिहीन श्रमिकों, बंटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों को उनकी पहचान और स्थिति को सत्यापित करने वाले दस्तावेजों के अभाव के कारण ऋण देने में आ रही समस्या को दूर करने के लिए बैंकों को सलाह दी गई है कि वे भूमिहीन श्रमिकों, बटाईदारों और मौखिक पट्टेदारों को उधार के मामले में फसलों की खेती के संबंध में स्थानीय प्रशासन/पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण-पत्रों को स्वीकार करें।

******